समस्त हिंदी कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी

वैट आदेशन की धारा-7(1) में ऐसे व्यापारी, जिनका पूर्ण के वर्ष में सकल
विक्रय धन ₹60 50 लाख से कम है, के लिए सकल विक्रय धन के आधार पर 1 प्रतिशत
समाधान राशि अदा किये जाने का प्रावधान रखा गया है। यह प्रावधान ऐसे व्यापारियों के
लिए नहीं है जिनके द्वारा निर्माण, आयात, केन्द्रीय विक्री, स्टॉक ट्रांसफर आदि किया जाता
है। अर्थात यह प्रावधान ऐसे व्यापारियों के लिए है जिनके द्वारा सिफर प्राप्त अन्दर
खरीद-बिक्री का कार्य किया जाता है। इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य ऐसे व्यापारियों की
सुविधा देना है जिनके द्वारा ग्राहकों को सीधे फुटकर बिक्री की जाती है तथा इनके द्वारा
प्रत्येक छोटी-छोटी बिक्री के लिए बिल जारी किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है। ऐसी
रीति में उनसे सकल विक्रय धन का 1 प्रतिशत समाधान राशि कर के रूप में दिये जाने
का प्रावधान किया गया है।

व्यापारी संगठनों द्वारा यह समस्या रखी गई है कि कर-निर्धारण अधिकारियों
द्वारा इस प्रकार के मामलों में खरीद की सूची दाखिल किए जाने हेतु बाध्य किया जा रहा
है, जबकि धारा-7(1) के अन्तर्गत समाधान का विकल्प अपनाने वाले व्यापारी न तो
आईटी०००००० का लाभ ले सकता है और न ही ग्राहकों से कर वसूल कर सकता है। अतः
समाधान का विकल्प अपनाने वाले व्यापारियों को खरीद की सूची के लिए बाध्य न-किया
जाय।

इस बिंदु पर विवादोपरांत निर्देशित किया जाता है कि छूंकि वैट अदिशन
की धारा-7(1) में दिये गए प्रावधानों में ऐसे व्यापारियों को 1 प्रतिशत वाली समाधान सौजन्या
से बाहर किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है जिनके द्वारा प्राप्त अन्दर से अपमैलिकृत से
खरीद कर बिक्री की जाती है, अतः ऐसी रीति में ऐसे व्यापारी, जिनके द्वारा वैट अदिशन
की धारा-7(1) के अन्तर्गत 1 प्रतिशत समाधान राशि अदा करने का विकल्प चुना जाता है,
को वार्षिक वितरण के साथ खरीद की सूची देने के लिए बाध्य नहीं किया जाए तथा
उदात्तपूर्ण दृष्टिकोण अननया जाये।

(एल.एन.पंत)
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
-2-
140
पृष्ठभंज: उक्त:

प्रतिलिपि— मनुष्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

1— प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2— महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैषयिक पैलेस इंद्रा नगर देहरादून।
3— अध्यक्ष / सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, देहरादून / हल्द्वानी।
4— एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन देहरादून / कुमाऊं जोन रुद्धपुर।
5— एडिशनल कमिश्नर (आडिट) / (प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
6— संसदीय ज्वाइट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून / हरिद्वार / काशीपुर / हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रस्तुत कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियों कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों / वार एसोसिएशन / उद्योग व व्यापार संगठन के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का कठोर करें।
7— ज्वाइट कमिश्नर (अधीन) वाणिज्य कर देहरादून / हल्द्वानी।
8— ज्वाइट कमिश्नर (वित्त अनुशीलन / प्रबंध) वाणिज्य कर हरिद्वार / रुद्धपुर।
9— विस्तृत तकनीकी निदेशक, एनएआईसी10 सचिवालय परिषद देहरादून को इस आशय से प्रस्तुत कि वे उक्त परिपत्र का वाणिज्य कर विभाग के वेबसाइट पर प्रसारित करने का कठोर करें।
10— पोर्टल प्रभावक, उत्तर पोर्टल जीआईआईपी परियोजना कार्यलय, आईआईटी10 कोड की।
11— संख्या अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कन कर व्यापार प्रतिनिधियों / अधिकारियों की ई-मेल द्वारा प्रस्तुत कर दें।
12— नेशनल लों हाउस बी-२ मॉर्न प्लाजा बिल्डिंग अभ्येक्टर ब्ल्ड, गाजियाबाद।
13— नेशनल लों एडिशनल हाउस-15/5 राजनगर गाजियाबाद।
14— लों पवित्रकेशन व्यापार कर मेवन, कोलकाता कम्पायन्ड राजनगर गाजियाबाद।
15— कार्यालय अधीक्षक की केंद्रीय गार्ड फाइल हेतु।
16— विषय अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

आयुक्त करें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।